

// आदेश //

क्रमांक C/1021 /
II-14-38/16 A

जबलपुर, दिनांक 25/02/2019

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत मैं अरविन्द कुमार शुक्ला रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर श्री सुधीर कुमार जोशी, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर के विभागीय जाँच प्रकरण में श्री व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश इंदौर को जाँचकर्ता अधिकारी एवं श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश इंदौर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करता हूँ।


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1022 /
II-14-38/16 A

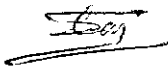
जबलपुर, दिनांक 25/02/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.)/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. श्री व्ही.बी. सिंह, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, की ओर इस निर्देश के साथ कि वे जाँच रिपोर्ट 90 दिवस में प्रस्तुत करें,
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राजेश कुमार शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, म.प्र.
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. अनुभाग अधिकारी स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
11. एक अतिरिक्त प्रति स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. श्री सुधीर कुमार जोशी, सहायक ग्रेड-दो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर म.प्र.,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

संलग्न:- क्रमांक 3, 6, 10, 11 एवं 12 के लिये आरोपपत्र,
अभिकथन का विवरण, दस्तावेजों एवं गवाहों
की सूची की प्रतिलिपि।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (आई.एल.)